संख्याः 544/VII-II/24-उद्योग/2008

प्रेषक,

पी०सी०शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 देहरादून दिनांकः 25 मार्च, 2009

विषयः हथकरघा बुनकरों एवं छीपियों की कल्याणकारी योजनान्तर्गत एकीकृत हथकरघा विकास योजना (Integrated Handloom Development Scheme(IHDS) हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5299/उ0नि0(दो)-40 बजट(पु.वि)/ 08-09 दिनांक 04-03-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हथकरघा बुनकरों एवं छीपियों की कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत एकीकृत हथकरघा विकास योजना हेतु रू0 42.43 लाख (रू0 बयालीस लाख तैतालीस हजार मात्र) की धनराशि पुर्नविनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0-15 के अनुसार बचतों से व्यावर्तन द्वारा व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त योजना पर धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे करने से बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो, व्यय में मितव्ययता का ध्यान विशेष रूप से रखा जाय तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों अथवा आदेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण भारत सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु समय-समय पर अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष ही केन्द्रांश तथा राज्यांश का आहरण किया जायेगा। व्यय की गयी धनराशि का विवरण भी समय-समय पर वित्त विभाग/प्रशासनिक विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। राज्यांश हेतु मात्र रू0 50 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) का प्लान आउटले है। अतः राज्यांश के विपरीत उक्तानुसार ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

4- वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव) कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर-130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

BUDGET 2-3 2009 (Punr)-24

5– वित्त विभाग के स्वीकृत हेतु परिपत्र सं0 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27 मार्च 2008 एवं दिनांक 23 अप्रैल 2008 के अनुसार उक्त योजना का अपेक्षित विवरण शासन एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि का दिनांक: 31.03.2009 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा और इसके उपरात कार्य का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन एवं भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो शासन को समर्पित कर दी जायेगी। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है। समय से उपयोग की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, ताकि समय से आवश्यक धनराशि की प्रतिपूर्ति हो सके।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 103–हथकरघा उद्योग, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 08–हथकरघा बुनकरों एवं छीपियों की कल्याणकारी योजनायें, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 511/XXVII(2)/2008, दिनांक: 23 मार्च, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 544(1)/VII-II/24–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
7. विकास आयुक्त, हथकरघा वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2
10. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

आय–व्ययक प्रपत्र–15

वर्ष 2008–09 हेतु आयोजनागत से आयोजनागत मद में पुनर्विनियोग

अनुदान संख्या – 23
प्रशासनिक विभाग–औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
नियंत्रक अधिकारी–निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

(धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार आधावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा प्राविधान	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 00–आयोजनागत 102–लघु उद्योग 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना– 02–प्रधानमंत्री रोजगार योजना (100% के0स0) 20–सहायक अनुदान/अंशदान ~~10000~~ 7475	~~2525~~	–	7475(क)	2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 00–आयोजनागत 103–हथकरघा उद्योग 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 08–हथकरघा बुनकरों एवं श्रमिकों की कल्याणकारी योजना 20–सहायक अनुदान/अंशदान– 4243(ख)	24243	~~3232~~ 3232	(क) आवश्यकता न होने के कारण । (ख) केन्द्र सरकार द्वारा अधिक धनराशि अवमुक्त होने पर उसके अनुरूप बजट व्यवस्था न होने के कारण।
योग– ~~10000~~ 7475	~~2525~~	–	7475	4243	24243	3232	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बज0 मैनुअल के प्रस्तर 151–156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

स्वीकृत
वित्त विभाग

संख्या 511/XXVII(2)/2008 दिनांक 27 03 2009

(हस्ताक्षर अपठनीय)
अपर सचिव,वित्त।

सेवा में,
महालेखाकार नियर स्टेट बैंक, इन्द्रानगर देहरादून।

संख्या 544/VII-II-09/24–उद्योग/08 दिनांक 3.2009
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निदेशक उद्योग,उद्योग निदेशालय देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–2
4– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।